कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.12.2024

फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन बेंटिग/गेंमिग मे इन्वेस्ट कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गैग के अन्तर्राज्यीय सरगना सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार उनके कब्जे से मोबाइल व नकदी बरामद।

दिनाक 04.11.2024 को वादिनी श्वेता जायसवाल पुत्री स्व0 रविकान्त जायसवाल निवासिनी रूप्पनपुर पंचकोशी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी पर उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ साइबर अपराधियों द्वारा मई 2024 माह मे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर उनको आनलाइन बेटिंग/गेंमिग वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट कराने तथा उसमे भारी रिटर्न दिलाने के नाम पर उनके साथ कुल 7,15,000/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट वाराणसी पर जांचोपरांत दिनाक 20.12.2024 को मु0अ0सं0 128/2024 धारा 420 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक विजय कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी एवं श्री प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमि0 वाराणसी के निर्देशन मे तथा सुश्री श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमि0 वाराणसी व श्री गौरव कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम मे वाराणसी से घटना में सलिप्त फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन बेंटिग/गेंमिग मे इन्वेस्ट कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गैग के अन्तर्राज्यीय सरगना अन्तर्राज्यीय गैंग के दो सक्रिय सदस्य को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से मोबाइल फोन, **33,000/-** रुपया नगद बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

घटना मे संलिप्त साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम रैण्डम व्यक्तियों को उनके व्हाटसएप पर आनलाइन बेंटिग/गेंमिग मे इन्वेस्ट कर भारी रिटर्न दिलाने का मैसेज भेजकर अपने झांसे मे लिया जाता है। फिर उनका अपने फर्जी वेबसाइट पर एकाउन्ट/वैलेट बनवाया जाता है जिसमे उनके द्वारा इनवेस्ट की गयी धनराशि तथा उसमे प्राप्त भारी रिटर्न दिखता है ज्ञातव्य हो कि यह एमाउन्ट केवल फ्लैश एमाउन्ट होता है वास्तविकता मे यह धनराशि नही होती है। इस प्रकार यूजर्स जब भारी रकम इन्वेस्ट कर देते है फिर साइबर अपराधियो द्वारा इनका खाता अपने वेबसाइट से बन्द कर डिलीट कर दिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनोद कुमार शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी 2/284 सुल्तानपुर, रामपुर, थाना – रामनगर, वाराणसी।
2. 2.राजेश कुमार पटेल पुत्र रमाशंकर पटेल निवासी भगवानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
3. **आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 128/2024 धारा 420 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

Android Mobile- 03 अदद ।

नकद धनराशि- 33,000/- रूपया

गिरफ्तारी/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी	
• निरीक्षक विजय नारायण मिश्र • निरीक्षक विजय कुमार यादव • निरीक्षक दीनानाथ यादव • उ0नि0 संजीव कन्नौजिया • उ0नि0 सतीश सिंह • उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार • उ0नि0 आलोक रंजन सिंह • हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता • हे.का. गोपाल चौहान • का0 चन्द्रशेखर यादव • का0 देवेन्द्र यादव • का0 अवनीश सिंह	• का. दिलीप कुमार • का0 अंकित प्रजापति • का0 सूर्यभान सिंह • का0 पृथ्वी राज सिंह • का0 अनिल कुमार मौर्य • म0का0 पुनीता यादव • का0 ड्रा0 विजय कुमार

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।